

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन
दायर दिनांक: 04/10/2019

प्रकरण सं० 154/2019

उनवान

1. बाबुलाल आयु 42 वर्ष पुत्र रामचरण
2. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पुत्र रामचरण जातियान धाकड निवासीगण खेडलीबांसला तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. रामचरण आयु 65 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

आदेश

दिनांक :21/10/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एवं माल खेडलीबांसला तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 171 का ख० न० 13 का रकबा 4.58 है० ख० न० 407 का रकबा 0.02 है० कुल किता 2 का रकबा 4.60 है० प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जो वादीगण के दादाजी भँवरलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता भँवरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/3, 1/3, बनता है, जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न० 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/3 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 23.7.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की

आराजी 1/3, 1/3 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण को सी0 सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/3 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/3 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 24.08.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल खेडली बांसला तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमि-धारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावे।

- (अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/3, 1/3, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया

गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम व माल खेडली बासला की खाता सं० 171 का ख०नं० 13 का रकबा 4.58 है० ख०नं० 407 का रकबा 0.02 है० कुल किता 2 का रकबा 4.60 है० प्रतिवादी क्रम 1 रामचरण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पेत्रक है। जो कि प्रतिवादी क्रम 1 रामचरण को पिता से प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। मुताबिक राजीनामा के उक्त आराजी 171 का कुल किता 2 का रकबा 4.60 है० आराजी में वादीगण 1 बाबूलाल वादी क्रम 2 प्रहलाद व प्रतिवादीगण 1 रामचरण को हिस्सा 1/3, 1/3 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण 1 लगायत 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/3, 1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज कर राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड० द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा०फा० किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम खेडली बासला की खाता संख्या 171 की कुल किता 2 की 4.60 है० प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जो आपसी सहमति से वादीगण को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करना चाहता है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। तथा वादीगण, प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडली बांसला की खाता संख्या 171 की कुल किता 2 की 4.60 है० में वादी क्रम 1 ल 2 को 1/3-1/3 हिस्से व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रहन का नोट H.K.G.B. अटरू दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 154/2019

उनवान

1. बाबुलाल आयु 42 वर्ष पुत्र रामचरण
2. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पुत्र रामचरण जातियान धाकड निवासीगण खेडलीबांसला तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामचरण आयु 65 वर्ष पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी खेडलीबांसला तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडली बांसला की खाता संख्या 171 की कुल किता 2 की 4.60 है0 में वादी कम 1 ल 2 को 1/3-1/3 हिस्से व प्रतिवादी कम 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रहन का नोट H.K.G.B. अटरू दर्ज किया जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

